



# भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-17022024-252217  
CG-DL-E-17022024-252217

असाधारण  
EXTRAORDINARY

भाग III—खण्ड 4  
PART III—Section 4

प्राधिकार से प्रकाशित  
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 100]  
No. 100]

नई दिल्ली, शुक्रवार, फरवरी 16, 2024/माघ 27, 1945  
NEW DELHI, FRIDAY, FEBRUARY 16, 2024/MAGHA 27, 1945

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस विनियामक बोर्ड

अधिसूचना

नई दिल्ली, 15 फरवरी, 2024

फा.सं. पीएनजीआरबी/कॉम/3-पीपीपीएल टैरिफ (1)/2012 खंड-VI (पार्ट फाइल-1)(इ-4734)-पेट्रोलियम एवं गैस विनियामक बोर्ड अधिनियम, 2006 (2006 का 19) की धारा 61 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, पेट्रोलियम एवं गैस विनियामक बोर्ड, (पेट्रोलियम और पेट्रोलियम उत्पाद पाइपलाइन परिवहन टैरिफ का निर्धारण) विनियम, 2010 में और संशोधन करके एतद्वारा निम्नलिखित विनियम बनाता है, नामतः :-

## 1. संक्षिप्त शीर्षक और प्रारंभण

(1) इन विनियमों को पेट्रोलियम एवं गैस विनियामक बोर्ड (पेट्रोलियम और पेट्रोलियम उत्पाद पाइपलाइन परिवहन टैरिफ का निर्धारण) द्वितीय संशोधन विनियम, 2024 कहा जाएगा।

(2) ये सरकारी राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख से लागू होंगे।

2. पेट्रोलियम एवं गैस विनियामक बोर्ड (पेट्रोलियम और पेट्रोलियम उत्पाद पाइपलाइन परिवहन टैरिफ का निर्धारण) विनियम, 2010 में, -

(क) विनियम 5 में, शब्द "पेट्रोलियम और पेट्रोलियम उत्पाद पाइपलाइन परिवहन शुल्क" से लेकर "पेट्रोलियम उत्पाद पाइपलाइन मार्ग" शब्दों तक को उप-विनियम (1) के रूप में क्रमांकित किया जाएगा।

(ख) विनियम 5 में, तेरहवां परंतुक के बाद, निम्नलिखित परंतुक जोड़ा जाएगा, नामतः -

"(2) पेट्रोलियम और पेट्रोलियम उत्पाद पाइपलाइन परिवहन शुल्क पाइपलाइन के चालू होने की तारीख या बोर्ड द्वारा पाइपलाइन को प्राधिकार देने/ प्राधिकार को स्वीकृति देने की तारीख या इन विनियमों की अधिसूचना, जो भी बाद में हो, से लागू होगा।"

वन्दना शर्मा, सचिव

[विज्ञापन-III/4/असा./754/2023-24]

#### पाद टिप्पण :

1. विनियम, पेट्रोलियम एवं गैस विनियामक बोर्ड (पेट्रोलियम और पेट्रोलियम उत्पाद पाइपलाइन परिवहन टैरिफ का निर्धारण) विनियम, 2010, भाग II, खंड 3(i) सा.का.नि. 987(ई) के माध्यम से दिनांक 07 दिसंबर 2010 को भारत के राजपत्र में प्रकाशित किए गए थे।
2. पेट्रोलियम एवं गैस विनियामक बोर्ड (पेट्रोलियम और पेट्रोलियम उत्पाद पाइपलाइन परिवहन टैरिफ का निर्धारण) संशोधन विनियम, 2012, फा. सं. पीएनजीआरबी/एम(सी)/62/2012 के माध्यम से भारत के राजपत्र, भाग III, खंड 4, दिनांक 13 दिसंबर को 2012 प्रकाशित किए गए थे।
3. पेट्रोलियम एवं गैस विनियामक बोर्ड (पेट्रोलियम और पेट्रोलियम उत्पाद पाइपलाइन परिवहन टैरिफ का निर्धारण) संशोधन विनियम, 2014, भारत के राजपत्र, भाग III, खंड 4 में फा. सं. पीएनजीआरबी/ एम(सी)/62/2014 के माध्यम से दिनांक 16 दिसंबर 2014 को प्रकाशित किए गए थे।
4. पेट्रोलियम एवं गैस विनियामक बोर्ड (पेट्रोलियम और पेट्रोलियम उत्पाद पाइपलाइन परिवहन टैरिफ का निर्धारण) संशोधन विनियम, 2014, भारत के राजपत्र, भाग III, खंड 4 में फा. सं. पीएनजीआरबी/ एल-विविध /VI/1/2007 के माध्यम से दिनांक 1 जनवरी 2015 को प्रकाशित किए गए थे।
5. पेट्रोलियम एवं गैस विनियामक बोर्ड (पेट्रोलियम और पेट्रोलियम उत्पाद पाइपलाइन परिवहन टैरिफ का निर्धारण) संशोधन विनियम, 2016, भारत के राजपत्र, भाग III, खंड 4 में फा. सं. पीएनजीआरबी/ एम(सी)/62/2016 के माध्यम से दिनांक 19 दिसंबर 2016 को प्रकाशित किए गए थे।
6. पेट्रोलियम एवं गैस विनियामक बोर्ड (पेट्रोलियम और पेट्रोलियम उत्पाद पाइपलाइन परिवहन टैरिफ का निर्धारण) संशोधन विनियम, 2017, भारत के राजपत्र, भाग III, खंड 4 में फा. सं. पीएनजीआरबी/ एम(सी)/62/2017 के माध्यम से दिनांक 19 दिसम्बर 2017 को प्रकाशित किए गए थे।
7. पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस विनियामक बोर्ड (पेट्रोलियम और पेट्रोलियम उत्पाद पाइपलाइन परिवहन टैरिफ का निर्धारण) संशोधन विनियम, 2018, भारत के राजपत्र, भाग III, खंड 4 में फा. सं. पीएनजीआरबी/ एम(सी)/62/2018 के माध्यम से दिनांक 18 दिसंबर 2018 को प्रकाशित किए गए थे।
8. पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस विनियामक बोर्ड (पेट्रोलियम और पेट्रोलियम उत्पाद पाइपलाइन परिवहन टैरिफ का निर्धारण) संशोधन विनियम, 2019, भारत के राजपत्र, भाग III, खंड 4 में फा. सं. पीएनजीआरबी/ एम(सी)/62/2019 के माध्यम से दिनांक 18 अप्रैल 2019 को प्रकाशित किए गए थे।

9. पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस विनियामक बोर्ड (पेट्रोलियम और पेट्रोलियम उत्पाद पाइपलाइन परिवहन टैरिफ का निर्धारण) संशोधन विनियम, 2020, भारत के राजपत्र, भाग III, खंड में फा. सं. पीएनजीआरबी/एम(सी)/62/2020 के माध्यम से दिनांक 19 फरवरी 2020 को प्रकाशित किए गए थे।
10. पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस विनियामक बोर्ड (पेट्रोलियम और पेट्रोलियम उत्पाद पाइपलाइन परिवहन टैरिफ का निर्धारण) दूसरा संशोधन विनियम, 2020, भारत के राजपत्र, भाग III, खंड 4 में फा. सं. पीएनजीआरबी/एम(सी)/62/2020 के माध्यम से दिनांक 27 मार्च 2020 को प्रकाशित किया किए गए थे।
11. पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस विनियामक बोर्ड (पेट्रोलियम और पेट्रोलियम उत्पाद पाइपलाइन परिवहन टैरिफ का निर्धारण) तीसरा संशोधन विनियम, 2020, भारत के राजपत्र, भाग III, खंड 4 में फा. संख्या पीएनजीआरबी/एम(सी)/62/202 के माध्यम से दिनांक 30 जून 2020 को प्रकाशित किए गए थे।
12. पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस विनियामक बोर्ड (पेट्रोलियम और पेट्रोलियम उत्पाद पाइपलाइन परिवहन शुल्क का निर्धारण) चौथा संशोधन विनियम, 2020, भारत के राजपत्र, भाग III, खंड 4 में फा. संख्या पीएनजीआरबी/वाणि./3-पीपीपीएल टैरिफ (1)/2012 वॉल्यूम-IV (पी-1018) के माध्यम से दिनांक 28 सितंबर 2020 को प्रकाशित किए गए थे।
13. पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस विनियामक बोर्ड (पेट्रोलियम और पेट्रोलियम उत्पाद पाइपलाइन परिवहन शुल्क का निर्धारण) संशोधन विनियम, 2021, भारत के राजपत्र, भाग III, खंड 4 में फा. सं. पीएनजीआरबी/वाणि./3-पीपीपीएल टैरिफ (1)/2012 वॉल्यूम-IV (पी-1018) के मध्यम से दिनांक 14 दिसंबर 2021 को प्रकाशित किए गए थे।
14. पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस विनियामक बोर्ड (पेट्रोलियम और पेट्रोलियम उत्पाद पाइपलाइन परिवहन टैरिफ का निर्धारण) संशोधन विनियम, 2023, भारत के राजपत्र, भाग III, खंड 4 में फा. संख्या पीएनजीआरबी/वाणि./3-पीपीपीएल टैरिफ (1)/2012 वॉल्यूम-V (पी-4397) के मध्यम से दिनांक 20 सितंबर 2023 को प्रकाशित किए गए थे।
15. पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस विनियामक बोर्ड (पेट्रोलियम और पेट्रोलियम उत्पाद पाइपलाइन परिवहन टैरिफ का निर्धारण) द्वितीय संशोधन विनियम, 2023, भारत के राजपत्र, भाग III, खंड 4 में फा. संख्या पीएनजीआरबी/वाणि./3-पीपीपीएल टैरिफ (1)/2012 वॉल्यूम-VI (पी-4698) के माध्यम से दिनांक 19 दिसंबर 2023 को प्रकाशित किए गए थे।

## PETROLEUM AND NATURAL GAS REGULATORY BOARD

### NOTIFICATION

New Delhi, 15th February, 2024

**PNGRB/COM/3-PPPLTariff(1)/2012 Vol-VI (Part File-1) (E-4734).**—In exercise of the powers conferred by Section 61 of the Petroleum and Natural Gas Regulatory Board Act, 2006 (19 of 2006), the Petroleum and Natural Gas Regulatory Board, hereby makes the following regulations, to further amend the Petroleum and Natural Gas Regulatory Board (Determination of Petroleum and Petroleum Products Pipeline Transportation Tariff) Regulations, 2010, namely: -

#### 1. Short title and commencement

- (1) These regulations may be called the Petroleum and Natural Gas Regulatory Board (Determination of Petroleum and Petroleum Products Pipeline Transportation Tariff) Amendment Regulations, 2024.
- (2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

#### 2. In the Petroleum and Natural Gas Regulatory Board (Determination of Petroleum and Petroleum Products Pipeline Transportation Tariff) Regulations, 2010, -

- (a) in regulation 5, the words "Petroleum and petroleum products pipeline transportation tariff" upto the words "petroleum product pipeline route" shall be numbered as sub-regulation (1)

(b) In regulation 5, after thirteenth proviso, the following shall be inserted, namely: -

“(2) The petroleum and petroleum products pipeline transportation tariff shall be applicable from the date of commissioning of the pipeline or the date of authorization/ acceptance of authorization of the pipeline by the Board or notification of these Regulations, whichever is later.”

VANDANA SHARMA, Secy.

[ADVT.-III/4/Exty./754/2023-24]

**Foot Note:**

1. The principal regulations, Petroleum and Natural Gas Regulatory Board (Determination of Petroleum and Petroleum Products Pipeline Transportation Tariff) Regulations, 2010, was published in Gazette of India, Part II, Sec. 3(i) on 07<sup>th</sup> December 2010, vide G.S.R. 987(E).
2. The Petroleum and Natural Gas Regulatory Board (Determination of Petroleum and Petroleum Products Pipeline Transportation Tariff) Amendment Regulations, 2012, was published in Gazette of India, Part III, Sec. 4 on 13<sup>th</sup> December 2012, vide F. No. PNGRB/M(C)/62/2012.
3. The Petroleum and Natural Gas Regulatory Board (Determination of Petroleum and Petroleum Product Pipeline Transportation Tariff) Amendment Regulations, 2014, was published in Gazette of India, Part III, Sec.4 on 16<sup>th</sup> December 2014, vide F. No. PNGRB/M(C)/62/2014.
4. The Petroleum and Natural Gas Regulatory Board (Determination of Petroleum and Petroleum Products Pipeline Transportation Tariff) Amendment Regulations, 2014, was published in Gazette of India, Part III, Sec. 4 on 01<sup>st</sup> January 2015, vide F. No. L-MISC/VI/2007.
5. The Petroleum and Natural Gas Regulatory Board (Determination of Petroleum and Petroleum Product Pipeline Transportation Tariff) Amendment Regulations, 2016, was published in Gazette of India, Part III, Sec.4 on 19<sup>th</sup> December 2016, vide F. No. PNGRB/M(C)/62/2016.
6. The Petroleum and Natural Gas Regulatory Board (Determination of Petroleum and Petroleum Product Pipeline Transportation Tariff) Amendment Regulations, 2017, was published in Gazette of India, Part III, Sec.4 on 19<sup>th</sup> December 2017, vide F. No. PNGRB/M(C)/62/2017.
7. The Petroleum and Natural Gas Regulatory Board (Determination of Petroleum and Petroleum Product Pipeline Transportation Tariff) Amendment Regulations, 2018, was published in Gazette of India, Part III, Sec.4 on 18<sup>th</sup> December 2018, vide F. No. PNGRB/M(C)/62/2018.
8. The Petroleum and Natural Gas Regulatory Board (Determination of Petroleum and Petroleum Product Pipeline Transportation Tariff) Amendment Regulations, 2019, was published in Gazette of India, Part III, Sec. 4 on 18<sup>th</sup> April 2019, vide F. No. PNGRB/M(C)/62/2019.
9. The Petroleum and Natural Gas Regulatory Board (Determination of Petroleum and Petroleum Product Pipeline Transportation Tariff) Amendment Regulations, 2020, was published in Gazette of India, Part III, Sec. 4 on 19<sup>th</sup> February 2020, vide F. No. PNGRB/M(C)/62/2020.
10. The Petroleum and Natural Gas Regulatory Board (Determination of Petroleum and Petroleum Product Pipeline Transportation Tariff) Second Amendment Regulations, 2020, was published in Gazette of India, Part III, Sec.4 on 27<sup>th</sup> March 2020, vide F. No. PNGRB/M(C)/62/2020.
11. The Petroleum and Natural Gas Regulatory Board (Determination of Petroleum and Petroleum Product Pipeline Transportation Tariff) Third Amendment Regulations, 2020, was published in Gazette of India, Part III, Sec.4 on 30<sup>th</sup> June 2020, vide F. No. PNGRB/M(C)/62/2020.
12. The Petroleum and Natural Gas Regulatory Board (Determination of Petroleum and Petroleum Product Pipeline Transportation Tariff) Fourth Amendment Regulations, 2020, was published in Gazette of India, Part III, Sec.4 on 28<sup>th</sup> September 2020, vide F. No. PNGRB/COM/3-PPPL Tariff (1)/2012 Vol-IV (P-1018).
13. The Petroleum and Natural Gas Regulatory Board (Determination of Petroleum and Petroleum Product Pipeline Transportation Tariff) Amendment Regulations, 2021, was published in Gazette of India, Part III, Sec.4 on 14<sup>th</sup> December 2021, vide F. No. PNGRB/COM/3-PPPL Tariff (1)/2012 Vol-IV (P-1018).
14. The Petroleum and Natural Gas Regulatory Board (Determination of Petroleum and Petroleum Product Pipeline Transportation Tariff) Amendment Regulations, 2023, was published in Gazette of India, Part III, Sec.4 on 20<sup>th</sup> September 2023, vide F. No. PNGRB/COM/3-PPPL Tariff (1)/2012 Vol-V (P-4397).
15. The Petroleum and Natural Gas Regulatory Board (Determination of Petroleum and Petroleum Product Pipeline Transportation Tariff) Second Amendment Regulations, 2023, was published in Gazette of India, Part III, Sec.4 on 19<sup>th</sup> December 2023, vide F. No. PNGRB/COM/3-PPPL Tariff (1)/2012 Vol-VI (P-4698).